गो सेवा
संख्या–2101 / सैंतीस–2–2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,
उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त,
मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त,
नगर आयुक्त, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 29 अगस्त, 2023

विषयः–गो आश्रय स्थलों पर रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी का पर्व पारम्परिक रूप से धूम–धाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पर्व पर गो–माता की विशेष पूजा किये जाने की परम्परा है। प्रदेश के समस्त जनपदों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश हेतु कान्हा गौशाला एवं गो आश्रय स्थलों को नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्थापित कर संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए नोडल विभाग पशुधन विभाग है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगामी रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :–

1– रक्षाबन्धन

1.2 रक्षाबन्धन का पर्व दिनांक 30.08.2023 एवं 31.08.2023 को पड रहा है। रक्षाबन्धन में अन्तर्नगरीय तथा अन्तर्जनपदीय मार्गो पर बहुत अधिक यातायात रहता है। ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाय कि समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य राजमार्ग तथा महानगरीय बाईपास एवं नगरों के भीतर के मार्गो पर निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाये जाय। यह एक संवदेनशील विषय है, अतः जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाय कि निराश्रित गोवंश विशेषतः नर गोवंशों को कान्हा गौशाला एवं गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित कराया जाय।

1.3 इस वर्ष अभिनव प्रयोग के रूप में गोबर से निर्मित बायो–डिग्रेडेबल (**Bio-degradable**) राखियां विभिन्न स्वयं सहायता समूहों एवं एन0जी0ओ0 के माध्यम से निर्मित की गयी है, जिसे व्यापार मण्डल के माध्यम से स्थानीय बाजारों में विपणन हेतु उपलब्ध कराया जाय।

2— <u>जन्माष्टमी</u>

2.1 जन्माष्टमी के दिन सभी कान्हा गौशाला एवं गो आश्रय स्थलों पर गो–माता का पूजन विधिवत कराया जाय तथा इस कार्यक्रम हेतु नगर निकायों के मा0 अध्यक्षगण एवं ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया जाय।

2.2 स्कूली बच्चों को गोआश्रय स्थल के महत्व तथा गोसंरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु उनको भी एक दिन पूर्व गोआश्रय स्थल एवं कान्हा गोशाला का भ्रमण कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

2.3 गाय के गोबर से बने दीप, राधाकृष्ण की मूर्तियॉ, जो पर्यावरण के अनुकूल है, व्यापार मण्डल के माध्यम से स्थानीय बाजारों में विपणन हेतु उपलब्ध कराया जाय।

2.4 यह सुनिश्चित किया जाय कि रक्षाबन्धन की भॉति जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भी मार्गो पर निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाये जाय।

2.5 जन्माष्टमी के पावन पर्व से एक सप्ताह पूर्व अभियान चलाकर कान्हा गौशाला एवं गो आश्रय स्थलों की साफ सफाई, स्वच्छता सुनिश्चित की जाय तथा इन स्थलों पर इन्टरलॉकिग, पीने हेतु स्वच्छ पानी, चारा, पौष्टिक आहार एवं वित्तीय व्यवस्था आदि समय से सुनिश्चित करा ली जाय।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 29-08-2023 15:15:36
Reason: Approved
(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–2101(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।